[2023] S.C.R.743

के.करूप्पुराज

विरूद्ध

एम.गणेशन

सिविल अपील क्रमांक 6014–6015/2021
4 अक्टूबर 2021

(न्यायमूर्ति एम.आर.शाह एवं न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना)

विनिर्दिष्ट अनुपालन– संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वाद– खारिज– उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील, स्वीकार – अभिनिर्धारितः विनिर्दिष्ट अनुपालन के अनुतोष हेतु डिक्री के उद्देश्य से, वादी को तत्परता एवं इच्छुकता दोनों को साबित करना अनिवार्य है– विचारण न्यायालय द्वारा ठोस कारण देकर, साक्ष्य की सराहना पर तथा वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर इच्छा का बिंदु वादी के विरूद्ध पाया, जो उचित है– वादी विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री का अधिकारी नहीं था– आक्षेपित निर्णय अपास्त – विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री पुर्नस्थापित– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– धारा 96 आदेश 41, नियम 31; आदेश 6, नियम 17– प्रथम अपील– निपटान– अभिनिर्धारितः प्रथम अपील सी.पी.सी. में प्रावधानित प्रक्रिया के अनुपालन में निराकृत की जानी चाहिए– वाद पत्र तथा अभिवचनों में संशोधन किए बिना शपथ पत्र पर विश्वास करना विधिनुसार अनुमत नहीं है– वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 41 सहपठित धारा 96 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील अत्यंत औपचारिक एवं लापरवाहीपूर्वक निराकृत की गई।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित कियाः 1.1 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 41 सहपठित धारा 96 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत अपील अत्यंत औपचारिक एवं लापरवाहीपूर्वक निराकृत की गई। इस तथ्य के अलावा कि उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के अंतर्गत अवधारणीय प्रश्न भी विरचित नहीं किए गए, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील न्यायालय के रूप में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग ही नहीं किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा न तो संपूर्ण साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया गया और न ही विचारण न्यायालय के समक्ष उठाए गए बिंदुओं पर कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष दिए गए। मूल वादी– प्रतिप्रार्थी के मामले के अनुसार, प्रतिवादी– अपीलार्थी द्वारा विक्रय पत्र के निष्पादन के समय संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर, किरायेदारों को निष्कासित कर भौतिक एवं रिक्त आधिपत्य सौंपा जाना था। यहां तक कि वादी द्वारा प्रेषित सूचना पत्र में भी, वादी द्वारा प्रतिवादी को किरायेदारों को निष्कासित करने एवं तत्पश्चात वादी से संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त होने के उपरांत विक्रय पत्र निष्पादित किया जाना था। यहां तक की वादपत्र के अभिवचन एवं अभिकथनों के आलोक, में यह प्रतीत होता है कि वादी किरायेदारों तथा/ अथवा के साथ विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए कभी इच्छुक नहीं था। यह वादी का पक्ष था कि किरायेदारों को निष्कासित कर रिक्त आधिपत्य सौंपा जायें। अतः वादपत्र के अभिवचन एवं साक्ष्य मूल्याकंन के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा इच्छुकता का विवाद्यक वादी के विरूद्ध पाया गया। हालांकि, वादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अब वह किरायेदारों के साथ संपत्ति के संबंध में विक्रय पत्र निष्पादित कराने हेतु तत्पर एवं इच्छुक है तथा उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में उक्त शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए यह पाया कि अब वादी किरायेदारों के साथ संपत्ति क्रय करने तथा विचाराधीन संपत्ति का विक्रय पत्र निष्पादित कराने हेतु तत्पर एवं इच्छुक है और उच्च न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद डिक्री कर दिया। वाद पत्र के अभिवचनों को संशोधित करने हेतु आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए बिना, उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में

प्रस्तुत शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया जाकर उसी पर विश्वास करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। ऐसी प्रक्रिया अस्वीकार्य होकर विधि में अज्ञात है। प्रथम अपील का निराकरण सी.पी.सी. में प्रावधानित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाना है। उच्च न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत जिस शपथ पत्र पर विश्वास किया गया वह वादपत्र के अभिवचनों के बिल्कुल विपरीत है। वादपत्र में ऐसे कोई अभिवचन नहीं थे कि वादी संपत्ति को क्रय करने हेतु तत्पर एवं इच्छुक है और किरायेदारों के साथ विक्रय पत्र निष्पादित करना चाहता है एवं विनिर्दिष्ट अभिवचन यह थे कि किरायेदारों को निष्कासित किया जाकर शांतिपूर्ण एवं रिक्त आधिपत्य सौंपा जाए एवं विक्रय पत्र निष्पादित किया जाए। उपरोक्त स्थिति में उचित प्रक्रिया यह होती कि वादी आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत एक उचित आवेदन प्रस्तुत करें, यदि वह, आदेश 41 सहपठित धारा 96 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील में स्वीकार्य योग्य होता। हालांकि वादपत्र व अभिवचनों को संशोधित किए बिना सीधे शपथ पत्र पर विश्वास किया जाना विधिनुसार पूर्णतः अस्वीकार्य है। अतः उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई ऐसी प्रक्रिया अस्वीकृत है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ठोस कारण देकर, साक्ष्य मूल्यांकन एवं वादपत्र के अभिवचनों के आलोक में इच्छुकता का विवाद्यक वादी के विरूद्ध अभिनिर्धारित किया था। विचारण न्यायालय द्वारा इच्छुकता का विवाद्यक वादी के विरूद्ध पाना उचित था। वादी कभी भी किरायेदारों के साथ/अथवा संपत्ति क्रय करने तथा विक्रय पत्र निष्पादित कराने हेतु तत्पर एवं इच्छुक नहीं था। वादी द्वारा प्रथम बार उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात जब विद्वान विचारण न्यायालय ने इच्छा के बिंदु को वादी के विरूद्ध पाया, तो वादी द्वारा यह मामला पेश किया गया कि वह किरायेदारों के साथ संपत्ति क्रय करने के लिए इच्छुक एवं तत्पर है। विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री हेतु वादी को इच्छुकता एवं तत्परता साबित करना आज्ञापक है। अतः यदि एक बार साक्ष्य विवेचना से यह पाया गया है कि वादी की ओर से कोई इच्छुकता नहीं थी, तब वादी विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री का अधिकारी नहीं है। अतः वर्तमान मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए डिक्री पारित नहीं करना उचित था। [कंडिका 6, 8]

*बी.वी.नागेश बनाम एच.वी. श्रीनिवास मूर्ति, **(2010)13 एस.सी.सी.530: (2010) 11 एस.सी.आर. 784;** एच.सिद्धिकी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण बनाम ए.रामलिंगम **(2011) 4 एससीसी 240: (2011) 5 एस.सी.आर. 587;** स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व अन्य बनाम एम्मंस इंटरनेशनल लिमिटेड व अन्य. **(2011) 12 एससीसी 174: (2011) 10 एस.सी.आर. 436** ; मधुकर व अन्य बनाम संग्राम व अन्य **(2001)4 एससीसी 756: (2001) 3 एस.सी.आर. 138;** एच.के.एन.स्वामी बनाम इर्शाद बसिथ (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण **(2005) 10 एससीसी 243;** जगन्नाथ बनाम अरूलप्पा व अन्य **(2005) 12 एससीसी 303– संदर्भ लिया।***

1.2 विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित आंशिक विक्रय प्रतिफल राशि मय 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वापस नहीं किया जाना, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय व आदेश की पुष्टि करने का आधार नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय/डिक्री के निष्पादन हेतु निष्पादन याचिका प्रस्तुत की जा सकती थी। अपीलार्थी– मूल प्रतिवादी आज दिनांक से आठ सप्ताह की अवधि के अंदर अनुबंध दिनांक से वसूली दिनांक तक रूपए 3,60,001/– मय 18% ब्याज के वापस करें। उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा अपील वाद क्रमांक 94/2010 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश पुर्नस्थापित किया जाता है। [कंडिका 10, 11]

संदर्भित न्यायदृष्टांत

(2010) 11 एस.सी.आर. 784 कंडिका 3.6

(2011) 5 एस.सी.आर. 587 कंडिका 3.6

(2011) 10 एस.सी.आर. 436 कंडिका 3.6

(2001) 3 एस.सी.आर. 138 कंडिका 6.2

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील क्रमांक 6014–6015/2021

अपील वाद क्रमांक 94/2010 तथा अपील वाद क्रमांक 94/2010 की पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक 71/2019 में उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.11.2017 तथा 06.01.2020 से।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता रत्नाकर दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस.थांनजयन, सुश्री प्रोमिला, सुश्री आईना, सुश्री जसवंती, अधिवक्तागण।

प्रतिप्रार्थी द्वारा नवनीति प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, पी.वी.योगेश्वरन, आशिष कुमार उपाध्याय, वाय.लोकेश, सुश्री वी.किर्तना, पंकज अग्रवाल, सुश्री इंदिरा भाकर, अधिवक्तागण।

न्यायमूर्ति एम.आर.शाह द्वारा निर्णय दिया गया।

1. 2010 की अपील वाद क्रमांक 94 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांकित 27.11.17 से व्यथित और असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालन के वाद को खारिज करते हुए पारित निर्णय और डिक्री को रद्द करते हुए उक्त अपील की अनुमति दी और इसके परिणास्वरूप वाद डिक्री कर दिया, मूल प्रतिवादी द्वारा वर्तमान अपील, सिविल अपील क्रमांक 6014/2021 प्रस्तुत की गई।

1.1 2010 अपील वाद क्रमांक 94 के द्वारा पुर्नविलोकन आवेदन क्रमांक 71/2019 को निरस्त करते हुए पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 06.01.2020 से व्यथित और अंसतुष्ट होकर, प्रतिवादी द्वारा पुर्नविलोकन आवेदक के रूप में वर्तमान सिविल अपील क्रमांक 6015/ 2021 प्रस्तुत की गई है।

2. वर्तमान अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि–

2.1 वादी तथा प्रतिवादी के मध्य कस्पा कोयंबटूर स्थित संपत्ति के विक्रय हेतु एक अनुबंध पत्र प्रतिफल राशि 16.20 लाख हेतु निष्पादित हुआ था। वादी द्वारा उक्त राशि में से 3,60,001/– रूपए का आंशिक भुगतान अनुबंध के निष्पादन के समय ही कर दिया गया था। अनुबंध में कुछ शर्ते निश्चित की गई थी जिसमें से एक शर्त यह थी कि मूल स्वामी के रूप में प्रतिवादी को किरायेदारों को विचाराधीन संपत्ति से निष्कासित करना होगा, तत्पश्चात संपूर्ण विक्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर विक्रय विलेख निष्पादित करना होगा। वादी द्वारा प्रतिवादी को सूचना पत्र प्रेषित कर किरायेदारों को संपत्ति से निष्कासित करने तथा दिनांक 01.06.2006 के सूचना पत्र के माध्यम से शेष प्रतिफल राशि प्राप्त होने पर विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए कहा।

2.2 यह की इसके पश्चात वादी द्वारा संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के अनुतोष हेतु विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया। वादी का यह मामला था कि वह अनुबंध के अपने भाग का अनुपालन करने के लिए तत्पर और इच्छुक था लेकिन प्रतिवादी द्वारा किरायेदारों को निष्कासित नहीं किया गया और न ही विक्रय पत्र के निष्पादन हेतु आगे आया। इसलिए वादपत्र के अभिवचनानुसार प्रतिवादी को किरायेदारों को निष्कासित करना होगा और अनुबंध का अपने भाग का अनुपालन करना तथा विक्रय विलेख निष्पादित करना होगा। वादी की ओर से यह अभिकथन किया गया की वह अपने बचत खाते में नगद राशि के साथ तैयार था और इसलिए, वह अनुबंध के अपने भाग को पूरा

करने के लिए सदैव तत्पर था। प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत कर वाद का विरोध किया गया। वादी की ओर से अनुबंध के विनिर्दिष्ट भाग को निष्पादित करने की तत्परता और इच्छुकता का विनिर्दिष्ट प्रत्याख्यान किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि वादी को पूर्व से ही रिक्त आधिपत्य के संबंध में जानकारी थी क्योंकि किरायेदारों को निष्कासित किया जा चुका था, इसके बावजूद वादी शेष प्रतिफल राशि का भुगतान करने के लिए तत्पर नहीं था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किए गए –

1. क्या वादी विनिर्दिष्ट अनुपालन का अधिकारी है?
2. क्या वादी संपत्ति को क्रय करने हेतु तत्पर व इच्छुक था?
3. अनुतोष ?

2.3 उभयपक्ष द्वारा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई। साक्ष्य के मूल्याकंन तथा वादपत्र के अभिवचनों के आलोक में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्परता का बिंदु वादी के पक्ष में पाया, हालांकि यह माना कि वादी विक्रय पत्र को निष्पादित करने हेतु इच्छुक नहीं था और इच्छुकता के संबंध में विवाद्यक वादी के विरूद्ध पाया गया। विचारण न्यायालय द्वारा यह भी माना कि प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहा है कि किरायेदारों ने वाद के अनुसार संपत्ति को रिक्त कर दिया था, हालांकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इच्छा के विवाद्यक को वादी के विरूद्ध पाया जाने पर कहा कि वादी ने किरायेदारों के साथ संपत्ति क्रय करने की इच्छा नहीं दिखाई और वाद पत्र में ऐसे कोई अभिवचन नहीं है तथा वादी ने संपत्ति को उसकी प्रकृति के अनुरूप क्रय करने के लिए नहीं चुना है। इसलिए साक्ष्य मूल्यांकन के आधार पर विचारण न्यायालय ने अंततः यह अभिनिर्धारित किया कि वादी किरायेदारों के साथ संपत्ति खरीदने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। तदनुसार विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया और अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए डिक्री पारित नहीं की तथा प्रतिवादी को अनुबंध दिनांक से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ 3,60,001/– रूपए की अग्रिम राशि दो माह की अवधि के भीतर वापस करने हेतु निर्देशित किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि जब तक वादी को प्रतिवादी से ऐसी राशि की वसूली नहीं हो जाती, जब तक संपत्ति को बंधक रखा जाए।

2.4 विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद खारिज किए जाने के निर्णय व डिक्री से व्यथित व अंसतुष्ट होकर, वादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, जिसमें प्रथम बार वादी द्वारा कथन किया गया कि वह किरायेदारों के साथ संपत्ति खरीदने के लिए तत्पर और इच्छुक है, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किए बिना तथा अवधारणीय प्रश्न निर्मित किए बिना आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपील की अनुमति दी है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया है तथा परिणामस्वरूप संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद डिक्री किया गया।

2.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश/डिक्री से व्यथित व असंतुष्ट होकर– प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति देते हुए और इसके परिणामस्वरूप संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री पारित किए जाने पर, मूल प्रतिवादी द्वारा वर्तमान अपील ,सिविल अपील क्रमांक 6014/21 है, के रूप में प्राथमिकता दी गई। आक्षेपित निर्णय और आदेश/डिक्री के पश्चात,

प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया जो निरस्त किया गया, जो सिविल अपील क्रमांक 6015/21 का विषय है।

3. अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रत्नाकर दास ने दृढतापूर्वक प्रस्तुत किया है कि मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में, उच्च न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार कर और अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन का आदेश देकर भौतिक रूप से त्रुटि की है।

3.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी पुरजोर रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील न्यायालय के रूप में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 सहपठित धारा 96 के अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग करते हुए, विशेष रूप से, इसमें निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर कोई चर्चा नहीं की तथा कोई अवधारणीय प्रश्न भी निर्मित नहीं करते हुए साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन नहीं किया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किया गया था, उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु प्रकरण का विनिश्चय किया है जो अन्यथा अनुज्ञेय नहीं है।

3.2 अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इच्छा के विवाद्यक पर साक्ष्य का कोई पुनः मूल्याकंन नहीं किया गया जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से विचार पर निर्धारित किया जाकर वादी के विरूद्ध पाया गया था।

3.3 यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने द्वारा भी उसके समक्ष पेश प्रतिप्रार्थी–वादी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करने में त्रुटि की है, जिसमें वादी द्वारा प्रथम बार यह मामला प्रस्तुत किया था कि वह किरायेदारों के साथ संपत्ति खरीदने के लिए तत्पर और इच्छुक है। यह भी प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई उपरोक्त प्रक्रिया विधि में पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है।

3.4 यह भी प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा किरायेदारों के साथ संपत्ति खरीदने की इच्छा पर जो अभिवचन नहीं किए गए थे, उसे प्रथम बार उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि वह किरायेदारों के साथ संपत्ति खरीदने के तैयार एवं इच्छुक है और वादपत्र के अभिवचन और यहां तक की विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिप्राप्त निष्कर्षों के पूर्णतः विपरित है।

3.5 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार वादी कभी भी किरायेदारों के साथ संपत्ति खरीदने के लिए सहमत नहीं हुआ और वादी के मामले के अनुसार और वादपत्र के अभिवचनानुसार प्रतिवादी की यह जिम्मेदारी थी कि उसे किरायेदारों को निष्कासित करना होगा और शांतिपूर्ण तथा रिक्त आधिपत्य सौंप कर विक्रय विलेख निष्पादित करना होगा। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए इसके बाद वादी की ओर से यह प्रस्तुत करना अनुमत नहीं था कि वह किरोयदारों के साथ संपत्ति खरीदने के लिए तत्पर और इच्छुक है और वह भी उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम बार प्रस्तुत एक शपथ पत्र के आधार पर।

3.6 यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी को वादपत्र में संशोधन की अनुमति दिए बिना, उच्च न्यायालय द्वारा एक शपथ पत्र के माध्यम से अपने रूख बदलने की अनुमति देने के लिए अपनाया गया मार्ग विधि और सी.पी.सी. के प्रावधानों के अंतर्गत प्रावधानित प्रकिया के लिए अज्ञात है। उपरोक्त दलीले दी जाकर तथा न्यायदृष्टांत **बी.वी.नागेश बनाम एच.वी. श्रीनिवास मूर्ति, (2010)13 एस.सी.सी. 530, एच.सिद्धिकी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण बनाम ए.रामलिंगम (2011) 4 एससीसी 240 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व अन्य बनाम एम्मंस इंटरनेशनल लिमिटेड व अन्य. (2011) 12 एससीसी 174**, में प्रतिपादित विधी को आधार मानते हुए वर्तमान अपील को स्वीकार किए जाने तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर उसके परिणामस्वरूप प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया गया है।

4. प्रतिप्रार्थी– मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवनीति प्रसाद सिंह द्वारा वर्तमान अपील का पुरजोर विरोध किया गया है।

4.1 प्रतिप्रार्थी– वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह दृढतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि विक्रय अनुबंध की शर्तो के अनुसार किरायेदारों को बेदखल करना और तत्पश्चात शांतिपूर्ण और रिक्त आधिपत्य सौंपा जाना तथा शेष विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त होने पर विक्रय विलेख का निष्पादन करना, प्रतिवादी का दायित्व था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में यह स्वीकृत है कि प्रतिवादी ने किरायेदारों को बेदखल करने का अपने भाग का पालन नहीं किया था अतः वाद स्वीकार किए जाने और विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए डिक्री पारित करना प्रतिवादी को प्रीमियम देने के समान है जो विक्रय अनुबंध के अंतर्गत अपनी भूमिका निभाने में विफल रहा है।

4.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा विक्रय अनुबंध की कुल प्रतिफल राशि 16.20 लाख में से मात्र 3,60,001/– रूपए अनुबंध के समय अदा किए गए है। यह प्रस्तुत किया गया है कि पश्चातवर्ती प्रक्रम पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जब यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी ने किरायेदारों के साथ विक्रय विलेख निष्पादित करने का विकल्प नहीं चुना, तो प्रतिवादी ने उचित रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह किरायेदारों के साथ विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक है। अतः यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी को शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देकर विक्रय विलेख निष्पादित कराने और किरायेदारों के साथ संपत्ति खरीदने के लिए तत्पर और इच्छुक है, उच्च न्यायालय द्वारा पर्याप्त न्याय किया गया है, जिससे प्रतिवादी द्वारा किरायेदारों को निष्कासित नहीं कर की गई अपनी त्रुटि का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकें।

4.3 प्रतिप्रार्थी– वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी ने भी वादी को दिए गए आंशिक प्रतिफल राशि रूपए 3,60,001/– मय 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वादी को वापस नहीं किया गया है, जैसा विचारण न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था । वैकल्पिक रूप से, प्रतिप्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि तकनीकीताएं वादी के लिए कोई बाधा नहीं है और इसलिए, मामला उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा सकता है और वादी को अनुमति दी जा सकती है कि आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानानुसार वाद में संशोधन करें।

4.4 वैकल्पिक रूप से, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि इस न्यायालय की राय में उच्च न्यायालय को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विरचित अवधारणीय प्रश्नों पर अवधारण किये बिना अपील का निपटारा नहीं किया जाना था, तो उस स्थिति में, अपील को आदेश 41 नियम 31 के अंतर्गत नए सिरे से विनिश्चय करने हेतु उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा सकता है। उपरोक्त दलीले देते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया।

6. वर्तमान मामले में, मूल वादी द्वारा संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के अनुतोष हेतु वाद संस्थित किया गया था। साक्ष्य विवेचना के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में तत्परता के संबंध में विवाद्यक का विनिश्चय किया गया, परंतु विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री इस आधार पर पारित नहीं की गई कि वादी किरायेदारों के साथ संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक नहीं था। फलतः इच्छुकता के संबंध में विवाद्यक वादी के विरूद्ध पाया गया। आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध आदेश 41 सहपठित धारा 96 सीपीसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में उच्च न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार कर और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद खारिज करते हुए पारित डिक्री को अपास्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु प्रस्तुत वाद डिक्री कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के अवलोकन से दर्शित है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा हेतु आदेश 41 नियम 31 में प्रावधानित अवधारणीय प्रश्न कथित नहीं किए। यह भी प्रकट है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील न्यायालय होने के नाते संपूर्ण मामले और विवाद्यकों पर विस्तृत चर्चा नहीं की और इस तरह यह प्रकट नहीं होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील का निपटारा करते समय साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया है। यह भी प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 41 सहपठित धारा 96 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत अपील अत्यंत औपचारिक और लापरवाहीपूर्वक निराकृत की गई। इस तथ्य के अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के अंतर्गत अवधारणीय प्रश्न भी विरचित नही किए, जिससे प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ही नहीं किया है। उपरोक्तानुसार, उच्च न्यायालय द्वारा न तो अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की पुनः मूल्यांकन की और न ही उन बिंदुओं पर कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष दिया जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उठाए गए थे।

6.1 **बी.वी.नागेश व अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बिना अवधारणीय प्रश्न विरचित किए एवं तथ्य और विधि दोनों पर विचार नहीं करते हुए उचित चर्चा और कारणों को निर्दिष्ट किए बिना, प्रथम अपील न्यायालय द्वारा धारा 96 सीपीसी के अंतर्गत प्रथम अपील का निपटारा नहीं किया जा सकता और वह भी आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के अंतर्गत अवधारणीय प्रश्न निर्मित किए बिना। चरण क्रमांक 3 व 4 में, इसे निम्नानुसार देखा और पाया गया है–

> ''**3.** अपील न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा नियमित प्रथत अपील का निपटारा कैसे किया जाना चाहिए, इस पर इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में विचार किया गया है। आदेश 41 सीपीसी मूल डिक्री की अपीलों से संबंधित है। विभिन्न नियमों में से, नियम 31 यह प्रावधानित करता है कि–
> अपील न्यायालय के निर्णय में –
> (क) अवधारणीय प्रश्न
> (ख) उन पर विनिश्चय

(ग) विनिश्चय के लिए कारण, तथा

(घ) जहां वह डिक्री जिसकी अपील की गई है उलट दी जाती है या परिवर्तित की गई है, वहां वह अनुतोष जिसका अपीलार्थी हकदार है, का कथन किया जाएगा।''

''**4.** अपील न्यायालय के पास विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलटने का या उसकी पुष्टि करने की अधिकारिता है। प्रथम अपील पक्षकारों का एक मूल्यवान अधिकार है और जब तक विधि द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, तब तक संपूर्ण मामला तथ्य एवं विधि दोनों के प्रश्नों का पुनः सुनवाई के लिए खुला है अतः अपील न्यायालय के निर्णय को अपने विवेक के सचेत अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए तथा पक्षकरों द्वारा प्रस्तुत विवादों से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद्यकों पर सकारण निष्कर्ष देना चाहिए। प्रथम अपील न्यायालय के रूप में पीठासीन, यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि किसी निष्कर्ष को अभिलिखित करने से पूर्व समस्त विवाद्यक एवं साक्ष्य पर विचार किया जाएं प्रथम अपील एक मूल्यवान अधिकार है और पक्षकरों को विधि एवं तथ्य दोनों के प्रश्नों पर सुनवाई का अधिकार है एवं प्रथम अपील में पारित निर्णय को विधि एवं तथ्य के समस्त विवाद्यकों को संबोधित करना चाहिए तथा सकारण विनिश्चय किया जाना चाहिए। (देखिए– *संतोष हजारी बनाम पुरूषोत्तम तिवारी (2001) 3 एस.सी.सी. 179, एस.सी.सी. 188, पैरा 15 व मधुकर बनाम संग्राम (2001) 4 एस.सी.सी. 756, एस.सी.सी. 758, पैरा 5)*"

6.2 एम्मसन्स इंटरनेशनल लिमिटेड व अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में अपील न्यायालय द्वारा धारा 96 सीपीसी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के दायरे और दायरे पर विचार करते हुए **मधुकर एवं अन्य बनाम संग्राम व अन्य (2001) 4 एस.सी.सी. 756; एच.के.एन स्वामी बनाम इरशाद बसीथ (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण, (2005) 10 एस.सी.सी 243 और जगन्ननाथ बनाम अरूलप्पा व अन्य (2005) 12 एस.सी.सी. 303** में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम अपील के पीठासीन न्यायालय के रूप में यह अपील न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कोई निष्कर्ष देने से पूर्व पक्षकरों द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्य एवं साक्ष्य पर विचार करें।

6.3– एच. सिद्धिकी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण (पूर्वोक्त) के चरण क्रमांक 21 में निम्नानुसार देखा व पाया गया कि–

''21. उक्त प्रावधान अपील न्यायालय के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते है कि न्यायालय को कैसे आगे बढना है और मामले का फैसला करना है। प्रावधानों को इस प्रकार से पढा जाना चाहिए कि इसमें उल्लेखित विभिन्न विवरणों को ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार, अपील न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट होना चाहिए कि न्यायालय द्वारा तथ्यों/साक्ष्य का उचित मूल्यांकन की गई है, अपने विवेक का उपयोग किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए मामले का निर्धारण किया है। यह उक्त प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि अपील न्यायालय का निर्णय मामले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सुसंगत साक्ष्य के स्वतंत्र मूल्यांकन पर आधारित हों और अपील न्यायालय के निष्कर्ष पूर्ण रूप से स्थापित और काफी ठोस है। अपील न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह स्वतंत्र रूप से पक्षकारों के साक्ष्य का आकलन करे और उन सुसंगत बिंदुओं पर विचार करें जो निर्णय लेने और साक्ष्य देने के लिए उत्पन्न होते है। तथ्य की अंतिम न्यायालय होने के नाते, प्रथम अपील न्यायालय को केवल विचारण न्यायालय के फैसले के साथ सामान्य सहमति

अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए बल्कि उसे विचारण न्यायालय के प्रत्येक बिंदु पर अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र रूप से कारण बताना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए और विस्तृत चर्चा की जाना चाहिए। ऐसा अभ्यास उक्त प्रावधानों के संदर्भ में विचारणीय बिंदु तैयार किये जाकर करना चाहिए और न्यायालय को उक्त वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता के अनुपालन में आगे बढना चाहिए। [देखिए– *सुखपाल सिंह बनाम कल्याण सिंह (ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 146,) गिरिजानंदिनी देवी बनाम बिजेंदर नारायण चौधरी (ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1124), जी. अमलोरपावम बनाम आर.सी. डायोसिस ऑफ मदुरै (2006) 3 एस.सी.सी. 224, शिव कुमार शर्मा बनाम संतोष कुमारी (2007) 8 एस.सी.सी. 600, और गन्नमणि अनसूया बनाम पार्वतीनी अमरेंदर चौधरी (2007) 10 एस.सी.सी. 296: ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 2380)]"*

7. उपरोक्त न्यायदृष्टांतो में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को लागू करते हुए, यदि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पर विचार किया जाएं, तब भी आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों का पूर्णरूप से पालन नहीं किया जाना दर्शित है। उच्च न्यायालय प्रथम अपील न्यायालय के रूप में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है; उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन नहीं की है; और यहां तक की विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारणों पर भी विचार नहीं किया, विशेषकर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इच्छुकता के विवाद्यक पर दिए गए निष्कर्षो पर । अतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और सामान्य परिस्थितियों में हमने प्रतिप्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया होता कि मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाये। हालांकि अन्य बिंदुओं पर भी, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश कायम रखें जाने योग्य नहीं है। हम, मामले को उच्च न्यायालय में प्रतिप्रेषित नहीं करते हुए गुण दोष के आधार पर अपील का निराकरण करते है।

8. यह उल्लेखनीय है कि मूल वादी के मामले के अनुसार, प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक था कि विक्रय विलेख के निष्पादन के समय संपूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि के भुगतान पर किरायेदारों को निष्कासित कर भौतिक एवं रिक्त आधिपत्य सौपें। यहां तक कि वाद में प्रेषित सूचना पत्र में भी वादी ने प्रतिवादी को किरायेदारों को निष्कासित करने और तत्पश्चात संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त होने पर विक्रय विलेख के निष्पादन हेतु कहा था। वाद पत्र के अभिवचन तथा दलीलों पर विचार करने पर यह प्रतीत नहीं होता है कि वादी कभी भी किरायेदारों और / या जैसा है तदनुसार विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए तैयार नहीं था। यह वादी का आग्रह था कि किरायेदारों को निष्कासित किया जाकर रिक्त आधिपत्य सौंपा जावें। अतः वादपत्रों के अभिवचनों और साक्ष्य विवेचना के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इच्छुकता के विवाद्यक को वादी के विरूद्ध अभिनिर्धारित किया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अब वह किरायेदारों के साथ संपत्ति के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए तैयार है और दुर्भाग्यवश, उच्च न्यायालय में प्रथम अपील में शपथ पत्र विश्वास करते हुए पाया कि अब वादी किराएदारों के साथ संपत्ति क्रय करने और विचाराधीन संपत्ति के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए तत्पर है। उच्च न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार कर विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद डिक्री किया गया। प्रथम अपील में शपथ पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई उपरोक्त प्रक्रिया, जिसके आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के अंतर्गत वादपत्र में संशोधन हेतु कोई आवेदन

प्रस्तुत किये बिना प्रथम अपील न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया गया और जैसे उसी पर विश्वास किया गया। ऐसी प्रक्रिया असमर्थनीय है और विधि में अज्ञात है। प्रथम अपीलों पर निर्णय सीपीसी में प्रावधानित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाना है। शपथ पत्र, जो वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विश्वास किया गया, वह वादपत्र के अभिवचनों से पूर्णतः विपरित है। उपरोक्तानुसार वादपत्र ऐसा कोई अभिवचन नहीं था कि वह संपत्ति किरायेदारों से क्रय करने और विक्रय विलेख को निष्पादित करने के लिए तत्पर और इच्छुक है और विशिष्ट अभिवचन यह था कि किरायेदारों को निष्कासित कर शांतिपूर्ण एवं रिक्तआधिपत्य सौंपा जाएं तथा विक्रय पत्र निष्पादित किया जाएं। वादी द्वारा आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के अंतर्गत वादपत्र को संशोधित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना उचित प्रकिया होती, यदि आदेश 41 सहपठित धारा 96 सीपीसी के अंतर्गत प्रथम अपील में इसकी अनुमति होती। हालांकि, वादपत्र तथा अभिवचनों में संशोधन किए बिना सीधे शपथ पत्र पर विश्वास करना विधिनुसार अनुज्ञेय नहीं है। अतः उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अस्वीकार्य है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ठोस आधार देते हुए, साक्ष्य विवेचना करते हुए, वादपत्र के अभिवचनों एवं तर्कों के परिपेक्ष्य में इच्छुकता के विवाद्यक को वादी के विरूद्ध पाया था। हमारे द्वारा वादपत्र के अभिवचनों व दलीलों का अवलोकन किया गया और उसके आधार पर हमारी यह राय है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इच्छुकता के विवाद्यक को वादी के विरूद्ध पाना उचित था। वादी कभी भी संपत्ति क्रय करने/ अथवा विक्रय विलेख निष्पादित करने हेतु तत्पर व इच्छुक नहीं था। वादी द्वारा प्रथम बार उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात जब विद्वान विचारण न्यायालय ने इच्छुकता के विवाद्यक को वादी के विरूद्ध पाया, तो वादी द्वारा यह मामला पेश किया गया कि वह किरायेदारों के साथ संपत्ति क्रय करने के लिए इच्छुक एवं तत्पर है। विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री हेतु वादी को इच्छुकता एवं तत्परता साबित करना आज्ञापक है। अतः यदि एक बार साक्ष्य विवेचना से यह पाया गया है कि वादी की ओर से कोई इच्छुकता नहीं थी, तब विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री वादी के पक्ष में नहीं दी जा सकती। अतः वर्तमान मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए डिक्री पारित नहीं करना उचित था।

9. वादी की ओर से यह निवेदन है कि अनुबंध में प्रतिवादी पर किरायेदारों को निष्कासित करने और रिक्त व शांतिपूर्ण आधिपत्य को सौंपने का कर्तव्य था, जिसका प्रतिवादी द्वारा पालन नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में, वादी के पक्ष में विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए डिक्री पारित नहीं करना प्रतिवादी को प्रीमियम देना होगा, जबकि वह अपने भाग की संविदा का पालन करने में विफल रहा है। उपरोक्त तर्क आकर्षक प्रतीत होते है, परंतु विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री के प्रयोजन से तत्परता एवं इच्छुकता को स्थापित करना एवं साबित करना अनिवार्य है और विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री हेतु यही सुसंगत आधार है।

10. अब, जहां तक वादी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा रूपए 3,60,001/– मय 18 प्रतिशत ब्याज की राशि वापस नहीं की गई है, जैसा की विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था, विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश बहुत स्पष्ट है तथा प्रतिवादी को उपरोक्त राशि की वसूली तक 18% ब्याज अदा करना विधि अनुसार आज्ञापक है। अतः वादी को 18% ब्याज के मान से प्रतिकर दिया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित विक्रय प्रतिफल राशि में से आंशिक राशि मय 18% ब्याज वादी द्वारा वापस नहीं करना, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश की पुष्टि का आधार नहीं हो सकता है। वादी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री को निष्पादित

कराने हेतु निष्पादन याचिका प्रस्तुत कर सकता था। इसके अतिरिक्त, हम अपीलार्थी–मूल प्रतिवादी को यह निर्देश प्रस्तावित करते है कि वह आज दिनांक से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अनुबंध दिनांक से वसूली दिनांक तक रूपए 3,60,001/– मय 18% ब्याज के वापस करें।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और उपर बतायें गए कारणों से दोनों अपील सफल होती है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपील वाद क्रमांक 94/2010 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाकर अपास्त किया जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को पुर्नस्थापित किया जाता है। हालांकि प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में, मूल प्रतिवादी को आज दिनांक से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अनुबंध दिनांक से वसूली दिनांक तक रूपए 3,60,001/– मय 18% ब्याज के वापस करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है, हालांकि खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलें स्वीकार की जाती है।

श्रेया शर्मा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
सैलाना जिला रतलाम